

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

38 / 2020

हनुमान सैन ग्राम सदापुरा पोस्ट लाम्बांकला तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 9-11-2020



प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

आपके कार्यालय दिनांक 11-07-2020 को डाक के माध्यम से शाटगन, रिवालवर/पिस्टल के आवेदन किया था। प्राप्त आवेदन के बाद से अब जो भी कार्यवाही की गई हो तो उन समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 17152 दिनांक 6-11-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक को पत्र क्रमांक 15457 दिनांक 7-9-2020 से सूचित किया गया था कि चाही गई सूचना के नियमानुसार 6 रुपये लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक में जमा करवाकर व जमा रसीद की प्रति कार्यालय रिकार्ड अनुभाग, कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करलेवें। किन्तु आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं करवाई एवं सूचना प्राप्त नहीं की गई है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु राशि जमा करवाने हेतु सूचित कर दिया गया था। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)

प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोंक

